छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
शंकरनगर, रायपुर

<u>अपील क्रमांक 184 / 2006</u>

श्री पदमचंद नाहटा, ... **अपीलार्थी**
एल.आई.जी. 80,
सेक्टर–2, शंकरनगर,
रायपुर (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी . . . . . **प्रतिअपीलार्थी**
कार्यालय सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
लोक निर्माण विभाग,
मंत्रालय, डी.के.एस.
भवन,
रायपुर (छत्तीसगढ़)

:: आदेश ::
(दिनांक 14 सितम्बर 2006)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री पदमचंद नाहटा ने अपने आवेदन–पत्र दिनांक 13–12–2005 द्वारा श्री जी.एस.सोलंकी, प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग की वर्ष 1995 से 2004 तक की वार्षिक गोपनीय चरित्रावलियाँ तथा उनसे संबंधित पत्रव्यवहार की जो पदोन्नति के लिए विचार में लिया गया था, की प्रतिलिपियाँ चाही थी, जो जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान नहीं की गई, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने अपीलीय अधिकारी को प्रथम अपील प्रस्तुत किया। प्रस्तुत प्रकरण में जन सूचना अधिकारी द्वारा 12–01–2006 के द्वारा अधिनियम की धारा–8(3) के अनुसार निरस्त किया गया और प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील का निर्णय दिनांक 24–01–2006 के द्वारा अपील निरस्त की गई, जिससे असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के रिकार्ड का अवलोकन किया गया। जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उत्तर पर विचार किया गया और उभय पक्ष की सुनवाई की गई। इस संबंध में पूर्व में भी अधिनियम की धारा–8(1)(ड.) तथा धारा–11 के आधार पर वार्षिक गोपनीय चरित्रावलियों की प्रति अधिनियम के प्रावधानों से मुक्त होने के कारण नहीं दिये जाने हेतु आयोग के द्वारा निर्णय दिये गये हैं। अतः इस आधार पर इस प्रकरण में यह अपील भी विचारणीय प्रतीत नहीं होती है। इस संबंध में अपीलीय अधिकारी द्वारा जो निर्णय दिया गया है, उसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

अतः उक्त अपील निरस्त की जाती है तथा अपीलीय अधिकारी का आदेश यथावत् रखा जाता है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त